संख्या-10/2022/554/002-82-3002(001)/2/2022

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषय:- आपातकालीन अवधि (दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्मान राशि स्वीकृति किये जाने हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि (दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 तक) आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अवशेष 08 माह के लिये आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 1,16,66,67,000/- (रू0 एक अरब सोलह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-06-2022 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।
2. वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय विवरण प्रशासनिक इकाईयों/जनपदों से प्राप्त कर नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज को प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में भेजा जाय, जिसकी एक प्रति शासन को भी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या एवं धनराशि का पूर्ण व्यय विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,16,66,67,000/- (रू0 एक अरब सोलह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 028 लेखा शीर्षक 2235608000300 आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2022/554/002-82-3002(001)/2/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3-वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया पेंशन मद में व्यय की गयी धनराशि का व्यय विवरण निदेशक/सचिव, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराते हुये उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायें तथा अतिरिक्त धनराशि का आवंटन अथवा बचत/समर्पण की सूचना के सम्बन्ध में निदेशक/सचिव, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ से अनुरोध करने का कष्ट करें।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
8- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
अनु सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।